न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 61 / 2020

फुलर्टन इंडिया होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड, कार्पोरेट कार्यालय–6 मंजिल, सुर्पीम बिजनेस पार्क, सुर्पीम सिटी, पोवई, मुम्बई, रजिस्टर्ड ऑफिस–मेघा टॉवर तीसरी मंजिल, पुराना नम्बर 307, नया नम्बर 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई ब्रांन्च ऑफिस– पहली एवं दुसरी मंजिल, केसर मॉल, 155ए, टोंक रोड, बापू नगर, एपेक्स मॉल के सामने, जयपुर।

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री शिव कुमार प्रजापत पुत्र श्री मुन्ना प्रजापत
पताः– प्लॉट नं0 49 बी, खसरा नं0 196 का भाग, आरजू कॉलोनी, गांव गढीथोरियान ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर–305901

(2) श्रीमती कविता प्रजापत पत्नी श्री शिव कुमार प्रजापत
पताः– वार्ड नं0 4, अग्रसेन कॉलोनी, दिलवाडा मार्ग, ब्यावर, जिला अजमेर
दुसरा पताः– प्लॉट नं0 49 बी, खसरा नं0 196 का भाग, अरजू कॉलोनी, गांव गढीथोरियान ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर–305901

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री रवि कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 11.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री शिव कुमार प्रजापत पुत्र श्री मुन्ना प्रजापत व श्रीमती कविता प्रजापत पत्नी श्री शिव कुमार प्रजापत, निवासीः प्लॉट नं0 49 बी, खसरा नं0 196 का भाग, आरजू कॉलोनी, ग्राम गढीथोरियान ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर को दिनांक 25.08.2017 एवं 27.09.2017 क्रमशः रू 15,26,724 / –(अक्षरे पन्द्रह लाख छब्बीस हजार सात सौ चौबीस रूपये मात्र) एवं रू 3,30,631 / –(अक्षरे तीन लाख तीस हजार छः सौ इक्कतीस रूपये मात्र) कुल ऋण रू 18,57,355 / –(अक्षरे अठारह लाख सत्तावन हजार तीन सौ पच्चपन रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर अचल सम्पत्ति, ग्राम गढीथोरियान ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर के आरजू, कोलोनी के खसरा नं. 196 का भाग प्लॉट नं0 49 बी, क्षैत्रफल 93.56 वर्गगज, जिसकी चतुर्थ सीमाएंः– पूर्व में– अन्य की भूमि, पश्चिम में –रास्ता, उत्तर में– प्लॉट नं0 49 ए, दक्षिण में–रास्ता, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.11.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.12.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–19,28,678.49 / –(अक्षरे उन्नीस लाख अठठाईस हजार छः सौ अठहत्तर रूपये एवं उनचास पैसे मात्र) का जारी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक अचल सम्पति ग्राम गढीथोरियान ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर के आरजू, कोलोनी के खसरा नं. 196 का भाग प्लॉट नं0 49 बी, क्षैत्रफल 93.56 वर्गगज, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:– पूर्व में– अन्य की भूमि, पश्चिम में –रास्ता, उत्तर में– प्लॉट नं0 49 ए, दक्षिण में–रास्ता, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner